

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) , ललितपुर।

UPLL010032572023



S.S.T.No- 695/2023

राज्य प्रति धर्मदास सोनी
धारा 138 (1)(B)विद्युत अधिनियम
थाना ए.पी.टी. ललितपुर,
जिला ललितपुर।

आदेश

29.01.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त धर्मदास सोनी समक्ष न्यायालय जेर जमानत उपस्थित आया ।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 (1) (B)विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 (1)(B)विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया जाता है। अभियुक्त ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण करने की प्रार्थना की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांकको पेश हो। अभियोजन पक्ष नियत दिनांक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक-29.01.2024

(लोकेश कुमार),
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
ललितपुर।

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) , ललितपुर।

S.S.T.No- 695/2023

राज्य प्रति धर्मदास सोनी

धारा 138 (1)(B)विद्युत अधिनियम

थाना ए.पी.टी. ललितपुर,

जिला ललितपुर।

आरोप

मैं लोकेश कुमार, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (E.C.Act)/(Electricity Act)ललितपुर आप अभियुक्त **धर्मदास सोनी** के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ-

यह कि दिनांक 21.09.2020 को समय 10.20 बजे स्थान ग्राम कैलगुवां थाना बानपुर जिला ललितपुर में वादी अवर अभियन्ता द्वारा अपने हमराही कर्मचारीगण के साथ विद्युत चैंकिंग की गयी, तो आपके द्वारा बिना विद्युत बिल जमा किये अपने स्तर से कटे संयोजन को जोड़ कर विद्युत का उपयोग किया गया तथा विद्युत की चोरी की गयी। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा **138 (1)(B)** विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको विनिर्दिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक-29.01.2024

(लोकेश कुमार),

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)

ललितपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया उसने आरोप से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की गयी।

दिनांक-29.01.2024

(लोकेश कुमार),

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)

ललितपुर।